DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

Need to change the limit of Suspended Particulate Matter from 80 to 300 to save the textile industry in Panipat

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा) : माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सीएक्यूएम (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) के निदेशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31.12.2022 के पश्चात कोयला ईंधन को जलाना बैन कर दिया है व बायोमास ईंधन को मंजूर ईंधन घोषित कर दिया है, जिस पर एस.पी.एम (सस्पेंडिड पर्टिकुलेट मैटर) की लिमिट को 800 से घटाकर 80 कर दिया है। पानीपत, हरियाणा विश्व भर में टेक्सटाइल हब के नाम से विख्यात है व पानीपत के उद्योगपति भी पर्यावरण सुधार के लिए सजग हैं। पानीपत के उद्योगपतियों द्वारा अपने बॉयलरों में कोयला ईंधन को जलाना बंद कर दिया गया है। उन्होंने अपने बॉयलरों को बायोमास पर शिफ्ट तो कर लिया है, परंतु पानीपत के अधिकतर उद्योगपति सीएक्यूएम द्वारा निर्धारित एस.पी.एम. लिमिट को 800 से घटाकर 80 पर लाने में असमर्थ हो गये हैं, जिसके कारण पानीपत के 500 से अधिक लघु उद्योग बंद हो गये हैं। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानीपत के टेक्सटाइल उद्योगों को बचाने के लिए एस.पी.एम. लिमिट में बदलाव कर उसे 80 से 300 किया जाए।

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by hon. Member.

Need to start daily train service from Belgaum to Mumbai and Hyderabad

श्री ईरण्ण कड़ाड़ी (कर्नाटक) : महोदय, बेलगाम इतिहास, औद्योगिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री मुंबई और हैदराबाद तक की यात्रा शैक्षणिक,